

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2020—भाद्र 27, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. ई-5-1022-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा को दिनांक 1 से 14 जून 2020 तक, चौदह दिन का पितृत्व अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र. एफ 1(ए)11-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री विवेकराज सिंह, भाप्रसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर को दिनांक 2 से 11 सितम्बर 2020 तक दस दिवस अर्जित

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2020

अधि.क्र. 123-एफ-1-326-2020-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 133-क एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-161 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा, शहरी क्षेत्र में अचल संपत्ति अंतरण के दस्तावेजों में वर्णित संपत्ति के मूल्य पर देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, अधिसूचना दिनांक से दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक, वर्तमान में प्रचलित 03 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत निर्धारित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2020

क्र. एफ-1-326-2020-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 123-एफ-1-326-2020-अठारह-3, दिनांक 17 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal the 17th September 2020

No. 123-F-1-326-2020-XVIII-3.- Under the Provisions of Section 133-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956 and Section 161 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, the State Government hereby, Prescribes additional Stamp duty Payable on the value of the Property mentioned in the documents for transfer of immovable Property in the urban areas, to be 1%, till 31st December 2020, as against 3% Prescribed Presently.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJIV NIGAM, Dy. Secy.